न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)

आर.ए.एस

प्रकरण सं.:– 06 / 2021

1. रामसुखी पुत्री स्व0 देवी पुत्र धन्ना
2. राधा पुत्री स्व0 देवी पुत्र धन्ना समस्त जाति जाट निवासी ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादीयागण

बनाम

1. चांदू पत्नि स्व0 लादू पुत्र देवी
2. प्रेम पत्नि स्व0 गोपाल पुत्र देवी
3. घीसालाल पुत्र स्व0 गोपाल पुत्र देवी
4. सांवरलाल पुत्र स्व0 गोपाल पुत्र देवी
5. लीला पुत्री स्व0 गोपाल पुत्र देवी समस्त जाति जाट निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. ओमप्रकाश पुत्र लादूलाल जाति जाट निवासी देवनारायण मंदिर के पास केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
7. खातून पत्नि चांद मोहम्मद जाति नीलगर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. मुकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति कलाल (मेवाडा) निवासी ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. राहुल कुमार पुत्र रामेश्वर जाति खाती निवासी ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. लाड देवी पत्नि चिमनाराम जाति जाट निवासी निमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. सावित्री कुमारी पत्नि राजूलाल जाति जाट निवासी निमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
12. सूरजकरण पुत्र कल्याण जाति जाट (तालेड) निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला अजमेर
13. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय जिला अजमेर
14. उप पंजीयक महोदय, भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विष्णुदत्त शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री धर्मवीर बामनिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 10 व 11
पैराकार सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश:– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 24.01.2023

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

वकील पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 1808 में दर्ज खसरा नं. 5701/2332 रकबा 0.22, 5704/2332 रकबा 0.05 है0, खाता सं. 1809 में दर्ज खसरा नं. 5700/2332 रकबा 0.13, 5703/2333 रकबा 0.03 है0, खाता सं. 1810 में दर्ज खसरा नं. 5699/2332 रकबा 0.09, 5702/2333 रकबा 0.02, खाता सं. 274 में दर्ज खसरा नं. 4719 रकबा 0.33, 4720 रकबा 0.39, खाता सं. 275 में दर्ज खसरा नं. 4746 रकबा 0.06, 4747 रकबा 0.20, 4985 रकबा 0.31, खाता सं. 1172 में दर्ज खसरा नं. 4749 रकबा 0.07, खाता सं. 1191 में दर्ज खसरा नं. 4989 रकबा 0.19, 4990 रकबा 0.11, 4991 रकबा 0.09 है0 भूमि को लेकर वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर वादग्रस्त भूमि वादी की पुश्तैनी आराजीयात होने के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं.1,10 व 11 की ओर से अधिवक्ता धर्मवीर बामनिया ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादीयागण द्वारा प्रश्नगत वाद पत्र विधिविरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें समस्त पक्षकारान को वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया जाकर न्यायालय को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया है। जिस कारण वाद पत्र खारिज योग्य है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार श्री चिमनाराम पुत्र श्री मिश्रीलाल जाट निवासी निमेडा को वादीयागण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया जाना किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बताया कि प्रश्नगत आराजीयात अप्रार्थीगण द्वारा वास्तविक खातेदार से पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित उपपंजीयक कार्यालय में जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र खरीद की है एवं अप्रार्थीगण खरीद दिवस से ही खरीदशुदा आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहें है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर ही वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण का बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। अतः प्रश्नगत आराजीयात में अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तथा बिना रजिस्टर्ड दस्तावेजात निरस्त किये माननीय न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार फरमाकर वाद पत्र खारिज करने का अनुरोध किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य हैं एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा श्री चिमनाराम को पक्षकार न बनाने संबंधी कथन किए है जो कृत्य जानबूझकर नहीं किया गया है बल्कि सहवनवश पक्षकार बनाया जाना रह गया है जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात है जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है एवं प्रार्थीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हकदार होने की हैसियत से वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमियां क्रय करना प्रारंभ से ही शून्य है। अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में बहस उभयपक्षान नियत की गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने समर्थन में प्रार्थना पत्र अंकित धारा 7 नियम 11 को लिपिकीय त्रुटि स्वीकारते हुए क्षमा चाही एवं प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणों को दोहराकर रजिस्टर्ड दस्तावेज को प्रभाव शून्य घोषित कराने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किए जाने का पुरजोर निवेदन किया। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के पिता द्वारा प्रतिवादी सं. 7 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2007 , प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2020 एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा चिमनाराम के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.02.2021 की प्रतियां प्रस्तुत की साथ ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में **Board Of Revenue For Rajasthan, Ajmer Revision No. 4761/Ganganagar Of 2004-Decided on 11.08.02009 Ranjeet Kaur & Ors. v/s Bhagwan Das & Ors. (RRT 2010(1)** प्रस्तुत की।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दौराने बहस जवाब पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का पुरजोर निवेदन किया।

पक्षकारान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण पर उपलब्ध तथ्य रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रश्नगत आराजीयात में अप्रार्थीगण का नाम जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र जो कि संपूर्ण विधिक प्रक्रिया से निष्पादित कराया गया है, के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है जो पूर्णतया विधिसम्मत है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियां विलोपित किया जाना बिना पंजिबद्ध दस्तावेज अर्थात विक्रय पत्र को अवैध अथवा शून्य घोषित कराए संभव नहीं है, जिस हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही की जाकर वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं, राजस्व न्यायालय को सिविल प्रकृति के प्रकरण निस्तारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वर्तमान स्थिति अनुसार पूर्णतया अस्वीकार हैं।

—:आदेश:—

उपरोक्त स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 वास्ते वाद खारिज करने एवं वास्ते राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभाव शून्य घोषित कराने का अधिकार नहीं होने से स्वीकार किया जाता हैं। मौजा देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2073—2076 के खाता सं. 1808 में दर्ज खसरा नं. 5701/2332 रकबा 0.22, 5704/2332 रकबा 0.05 है0, खाता सं. 1809 में दर्ज खसरा नं. 5700/2332 रकबा 0.13, 5703/2333 रकबा 0.03 हैं0, खाता सं. 1810 में दर्ज खसरा नं. 5699/2332 रकबा 0.09, 5702/2333 रकबा 0.02, खाता सं. 274 में दर्ज खसरा नं. 4719 रकबा 0.33, 4720 रकबा 0.39, खाता सं. 275 में दर्ज खसरा नं. 4746 रकबा 0.06, 4747 रकबा 0.20, 4985 रकबा 0.31, खाता सं. 1172 में दर्ज खसरा नं. 4749 रकबा 0.07, खाता सं. 1191 में दर्ज खसरा नं. 4989 रकबा 0.19, 4990 रकबा 0.11, 4991 रकबा 0.09 है0 भूमि बाबत प्रस्तुत वाद पत्र सिविल प्रकृति का होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार दर्ज होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.)

श्रीमती रामसुखी वगै0 बनाम श्रीमती चांदू वगै0

(विस्तृत उनवान पुष्ठ पर दर्ज है)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 06/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू प्रभात त्रिपाठी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अधिवक्ता श्री विष्णुदत्त शर्मा (वादी), श्री धर्मवीर बामनिया (प्रतिवादीगण) व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुददई रूबरू .....मिनजामिन मुददालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि मौजा देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां तहसील भिनाय के जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता सं. 1808 में दर्ज खसरा नं. 5701/2332 रकबा 0.22, 5704/2332 रकबा 0.05 है0, खाता सं. 1809 में दर्ज खसरा नं. 5700/2332 रकबा 0.13, 5703/2333 रकबा 0.03 हैं0, खाता सं. 1810 में दर्ज खसरा नं. 5699/2332 रकबा 0.09, 5702/2333 रकबा 0.02, खाता सं. 274 में दर्ज खसरा नं. 4719 रकबा 0.33, 4720 रकबा 0.39, खाता सं. 275 में दर्ज खसरा नं. 4746 रकबा 0.06, 4747 रकबा 0.20, 4985 रकबा 0.31, खाता सं. 1172 में दर्ज खसरा नं. 4749 रकबा 0.07, खाता सं. 1191 में दर्ज खसरा नं. 4989 रकबा 0.19, 4990 रकबा 0.11, 4991 रकबा 0.09 है0 भूमि बाबत प्रस्तुत वाद पत्र सिविल प्रकृति का होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता हैं।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

निजी.....X.....मुबलिक.....X.....बाबत्.....X.....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.....X..... को अदा करें।

वसूलियाव तक.....X..... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24.01.2023 को डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.....

ओहदा.....

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालत नामा	–	–	स्टाम्प वकालत नामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–			
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मिजान			मिजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधि
भिनाय (अजमे

Scanned with CamScanner